

श्रीमान,  
सात जी राय,  
विशेष अधिकारी  
उत्तर प्रदेश शासन  
सेवा में,  
मुद्रण एवं संस्थापन/  
मॉडल ऑफिसरी  
आर.डी.ओ.ए.ए.ए.

*Handwritten notes:*  
A/S  
12/11/15

का अनुमान-2 संख्या: दिनांक 13 जुलाई 2015

विषय: जनपद गोंडवाना में 80 रोज़ जनोद्धार लक्षिका राज्य विकास योजनात्मक स्वीकृत प्रकृति परियोजना से संबन्धित सम्यक् मान के निर्माण हेतु 0.98 हे० आवंटित कर भूमि के किला वृत्त काल के गैर पारित्रीक प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:

उपरोक्त विषयक सूचना अपने पत्र संख्या-2270/11-सी-मुद्रा047/2015, दिनांक 15-6-2015 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से काल स्तर पर सम्बन्धित अनुमोदन हेतु अनुवृत्त किया गया है।

2- इस संदर्भ में मुझे आपकी यह सूचना का निर्देश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्न अभिलेख पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है:-

- (1) कर्जापत्र अधिनियम, 2006 (एनओसीएनओ) से सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है। जबकि कर्जापत्र अधिनियम, 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की नूतन प्रति संलग्न देना चाहिये।
- (2) प्रस्ताव के पृष्ठ- 51, 52, 53 पर संशोधित प्रमाण पत्र में नाम/पदनाम/गोहर रॉल नं. सम्बंधित प्रमाण पत्र पर अधिकारी का नाम/पदनाम/गोहर नूतन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना।

अधिकृत/मुहर/सूचना/अभिलेख शासन को ब्यापक उपलब्ध करने का कष्ट करें।

सहीदा,

*Handwritten signature:*  
(सात जी राय)  
विशेष अधिकारी

*Handwritten notes:*  
सात जी राय (मुद्रण एवं संस्थापन) (मॉडल ऑफिसरी) (उत्तर प्रदेश शासन)  
पत्र संख्या 12/11-सी-मुद्रा047/2015 दिनांक 13 जुलाई 2015  
विषय: जनपद गोंडवाना में 80 रोज़ जनोद्धार लक्षिका राज्य विकास योजनात्मक स्वीकृत प्रकृति परियोजना से संबन्धित सम्यक् मान के निर्माण हेतु 0.98 हे० आवंटित कर भूमि के किला वृत्त काल के गैर पारित्रीक प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।  
(1) कर्जापत्र अधिनियम, 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की नूतन प्रति संलग्न देना चाहिये।  
(2) प्रस्ताव के पृष्ठ- 51, 52, 53 पर संशोधित प्रमाण पत्र में नाम/पदनाम/गोहर रॉल नं. सम्बंधित प्रमाण पत्र पर अधिकारी का नाम/पदनाम/गोहर नूतन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना।

*Handwritten signature:*  
A/S

प्रेषक,  
लाल जी राय,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

AdS6

*copy/Handed  
13/07/15*

सेवा में,  
मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी  
3090, लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 2015

विषय- जलपद सोनमंद ने डा० राम मनोहर लोहिया समय विद्युत् योजनांतर्गत स्वीकृत प्राइमरी पाठशाला से खेबन्धा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.96 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना दृष्ट पालन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-2270/11-सी-यूपी047/2015, दिनांक 15-6-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शासन स्तर पर सामान्य अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव में निम्न अभिलेख पूर्ण कराया जाना अपेक्षित है:-

- (1) वनाधिकार अधिनियम, 2006 (एफ०आर०ए०) से सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। जबकि वनाधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बंधित जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न होना चाहिये।
- (2) प्रस्ताव के पृष्ठ- 51, 52, 53 पर रक्षित प्रमाण पत्र में नाम/पदनाम/मोहर रहित है, सम्बंधित प्रमाण पत्र पर अधिकारी का नाम/पदनाम/मोहर युक्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।

उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को बधाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

*(लाल जी राय)*  
विशेष सचिव।